

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)
योजना भवन, पृथ्वी तल, नेपाल हाऊस, कोरबा, राँची-834002

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

कुलसचिव,
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।

राँची, दिनांक :/

विषय :-

Institute for Education, Seraikella-Kharsawan को BCA में शैक्षणिक सत्र-2024-27, BBA में शैक्षणिक सत्र-2024-27, BCA में शैक्षणिक सत्र-2025-28 एवं BBA में शैक्षणिक सत्र-2025-28 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक-810, 811, 812 एवं 813, दिनांक-28.08.2025

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है की राज्य सरकार Institute for Education, Seraikella-Kharsawan को BCA में शैक्षणिक सत्र-2024-27, BBA में शैक्षणिक सत्र-2024-27, BCA में शैक्षणिक सत्र-2025-28 एवं BBA में शैक्षणिक सत्र-2025-28 संकाय पाठ्यक्रम में बिना किसी वित्तीय भार के एवं इंटर रहित संबंधन दीर्घीकरण के प्रस्ताव में समीक्षोपरांत झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 04(19) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित विवरणी के अनुसार कंडिका-2 में अंकित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की है:-

क्र०	संकाय/स्तर/विषय	सत्र	अभ्युक्ति
01	BBA	शैक्षणिक सत्र 2024-27 के लिए अस्थायी नवसंबंधन	छात्रहित में शैक्षणिक सत्र 2024-27 के लिए अस्थायी नवसंबंधन की अनुशंसा इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय AICTE से स्वीकृति प्राप्त कर लेगा।
02	BCA		
03	BBA	शैक्षणिक सत्र 2025-28 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण	शैक्षणिक सत्र 2025-28 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण की अनुशंसा इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय AICTE से स्वीकृति प्राप्त कर लेगा।
04	BCA		

2. शर्त :-

- यह महाविद्यालय नवसंबंधन/संबंधन दीर्घीकरण हेतु पत्रांक- BSU-16/86-1096 (जी0एस01) दिनांक-19.04.1986 एवं संबंधन संबंधी नवगठित परिनियम द्वारा निर्धारित शर्तों एवं यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित शर्तों को सदैव पूरा करेगा।
- विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में अधिरोपित शर्तों एवं पूर्व में विभाग द्वारा दिये गए शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- महाविद्यालय को यू0जी0सी0 अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा-5 के तहत NACC Accreditation कराना आवश्यक होगा।
- आरक्षण नियमों का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

राँची, दिनांक : 27/01/2026

ज्ञापक : 05/सं-07/2024 - 199 /

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, Institute for Education, Seraikella-Kharsawan को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ

प्रेषित।

19.01.26
(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।